2 दशक में 240 नई ग्राम पंचायतें आई अस्तित्व में

फतेहाबाद, पलवल, झज्जर व मेवात के जिला बनने के बाद हिसार, फरीदाबाद, रोहतक एवं गुड़गांव में घट गई पंचायतें

सिरसा, 25 दिसम्बर (नवदीप सेतिया): 2 दशक पहले 1994 में नए एक्ट के बाद राज्य में अब वर्तमान में 5वीं दफा पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं। इन 2 दशकों में काफी कुछ बदल गया है। फतेहाबाद, पंचकूला, पलवल, मेवात एवं झज्जर जैसे 5 नए जिलों के अस्तित्व में आने के बाद गुड़गांव, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार एवं सोनीपत सरीखे जिलों का भौगोलिक चेहरा-मोहरा बदल गया है। इन 2 दशकों में जहां राज्य में 240 नई पंचायतें अस्तित्व में आई हैं, वहीं पंचायत सदस्यों की संख्या में 8,333 का जबकि जिला परिषद के सदस्यों की संख्या में 113 सीटों का इजाफा हो गया है। पंचायत समिति की 583 सीटें 2 दशक में बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ सटे गुड़गांव जिला में पंचायतों की संख्या 1994 की 508 की तुलना में वर्तमान में 200 रह गई है जबकि हिसार में यह संख्या 566 से कम होकर 309 पर पहुंच गई है।

भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा एवं यमुनानगर जिलों में बढ़ गई पंचायतें

वर्तमान में और 1994 में जिलावार पंचायतों का विवरण

जिला	वर्तमान में	1994
अम्बाला	408	571
भिवानी	468	408
फरीदाबाद	116	335
फतेहाबाद	257	--
गुड़गांव	200	508
हिसार	309	566
झज्जर	250	--
जींद	301	301
कैथल	278	249
करनाल	381	369
कुरुक्षेत्र	393	364
नारनौल	346	338
मेवात	316	--
पलवल	259	--
पंचकूला	127	--
पानीपत	176	166
रोहतक	139	393
रेवाड़ी	360	345
सिरसा	338	319
सोनीपत	304	316
यमुनानगर	472	410
कुल	6198	5958

नोटः फतेहाबाद, झज्जर, पलवल, पंचकूला, मेवात जिले 1994 के बाद अस्तित्व में आए हैं।

दरअसल राज्य में 1994 में पंचायती राज एक्ट में बड़े पैमाने पर संशोधन हुआ और उस समय अनुसूचित जाति के लिए पंचायती राज चुनाव में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस नए एक्ट के अंतर्गत हुए चुनाव के करीब 21 वर्ष बाद राज्य में एक बार फिर से पंचायती चुनाव नए संशोधन के अंतर्गत हो रहे हैं। इस बार शैक्षणिक योग्यता, घर में शौचालय की अनिवार्यता एवं बैंक से कर्जा मुक्ति जैसी शर्तों को शामिल किया गया है। 1994 में कुल 5,958 ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए। इस बार 6,198 पंचायतों के

चुनाव होने हैं। 114 ऐसी पंचायतें भी हैं जिनके चुनाव फिलहाल नहीं होने हैं। इसी तरह से 1994 में कुल 54,159 पंचायत सदस्यों की तुलना में इस बार 62,492 पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होंगे जबकि 303 जिला परिषद सदस्यों की तुलना में 416 सदस्यों को लेकर चुनाव होना है।

इसी तरह से पंचायत समिति के 2,418 सदस्यों की तुलना में 3,001 सदस्यों को लेकर चुनाव होने हैं। गुड़गांव से अलग होकर मेवात, फरीदाबाद से अलग होकर पलवल, हिसार से अलग होकर फतेहाबाद एवं रोहतक एवं सोनीपत के गांवों को मिलाकर इन 2 दशकों में झज्जर जिला अस्तित्व में आया। ऐसे में पंचायती आंकड़ों में काफी रोचक बदलाव आ गया है। अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, महेंद्रगढ़, रोहतक एवं सोनीपत ऐसे जिले हैं जहां 1994 की तुलना में पंचायतों की संख्या में काफी कमी आई है, जबकि भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा एवं यमुनानगर जिला में पंचायतों की संख्या में इजाफा हुआ है।

अब तक 1064 नामांकन दाखिल

चंडीगढ़, 25 दिसम्बर (का.प्र.): हरियाणा में आगामी 10,17 व 24 जनवरी को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के पांचवें आम चुनावों के प्रथम चरण के लिए अब तक कुल 1064 नामांकन प्राप्त हुए हैं।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजीव शर्मा ने बताया कि इनमें जिला परिषद के लिए 180, पंचायत समिति के लिए 248, सरपंच के पद के लिए 268 तथा पंच के लिए 368 नामांकन प्राप्त हुए हैं। जिला परिषद के उम्मीदवारों में 101 पुरूष व 79 महिला, पंचायत समिति के लिए 182 पुरूष व 66 महिला, सरपंच के लिए 185 पुरूष व 83 महिला तथा पंच के लिए 230 पुरूष व 138 महिला उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को प्रथम चरण में 416 जिला परिषद वार्डों, 1221 पंचायत समिति के वार्डों, 2383 सरपंच के पदों तथा 26248 वार्डों के पंचों के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं। जिन उम्मीदवारों ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका से पहले नामांकन भरे थे, उनके नामांकन पत्र भी वैध माने जाएंगे, बशर्ते कि उन्हें संशोधित शर्तें पूरी करने की घोषणा देनी होगी।

चौधर बचाने के लिए सौतन ले आई चौधराइन

- विधवा से करवाई पति की शादी
- मेवात में रोजाना 2-2 शादियां करने के आ रहे मामले
- उम्मीदवारी पाने के लिए कर रहे दूसरी शादियां

पुन्हाना, 25 दिसम्बर (का.प.): कोई भी पत्नी अपनी सौतन लाने के हक में नहीं होती, अकसर जब पति सौतन ले आता है, तो पत्नी उससे झगड़ा करती है, लेकिन मेवात में इन दिनों अपनी चौधर बचाने के लिए चौधराइनों का भी पूरा साथ पतियों को मिल रहा है। तभी न आए दिन मेवात में लोग दो-दो शादियां कर रहे हैं। ये सब हो रहा है हरियाणा में लागू हुए चुनाव के नए नियमों के कारण। नियमों के मुताबिक पढ़ा-लिखा उम्मीदवार ही सरपंच पद पर उम्मीदवारी जता सकता है। मेवात में अब तक पहले बने दर्जनों चौधरी न खुद पढ़े-लिखे थे न ही उनकी चौधराइन ही पढ़ी लिखी थीं। ऐसे में उम्मीदवारी के लिए या तो लोग अपने बेटों की शादी कर रहे हैं या फिर अपनी ही दूसरी शादी कर ले रहे हैं। मेवात के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह दूसरी शादी करने के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि जानकार बताते हैं कि आधा दर्जन से अधिक ऐसे भी शादी के मामले हैं जो अभी लोग छिपा रहे हैं, लेकिन नामांकन के अंतिम दिनों तक यह साफ हो जाएगा कि कितने चौधरियों ने अपनी दूसरी शादी कर ली हैं और कितनों ने अपने बालिग या नाबालिग बेटों की शादी महज चुनाव लड़ने के लिए कर दी है।

निवर्तमान सरपंच हनीफ अपनी दोनों पत्नियों के साथ।

नया मामला पुन्हाना मेवात का

पुन्हाना खंड के सबसे बड़े गांव सिंगार में एक पत्नी सौतन ले आई। वजह ये है कि पति की चौधर गांव से न चली जाए इसलिए पत्नी ने पति की दूसरी शादी करा दी और सौतन ले आई। हुआ यों कि गांव सिंगार के मौजूदा सरपंच हनीफ खान हैं। इस बार गांव की सरपंची महिला आरक्षित है, लेकिन हनीफ सरपंच के घर में एक भी महिला आठवीं कक्षा तक पढ़ी नहीं है, जिसे वह चुनावी मैदान में उतारकर अपने परिवार की चौधर को बचा सके। पत्नी को यह बात गवारा नहीं हुई कि आठवीं तक पढ़ा नहीं होना उसके पति की चौधर को छीन लेगा। इसलिए उसने अपने 45 वर्षीय पति सरपंच हनीफ की दूसरी शादी उससे 14 साल छोटी गांव कोट की एक विधवा से करा दी, जो आठवीं कक्षा तक शिक्षित है। सरपंच हनीफ की पत्नी जाहिरा को इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है कि उसने अपने पति की दूसरी शादी कराई है। बल्कि उसका कहना है कि वह अपनी सौतन के साथ छोटी बहन की तरह रहेगी।

ज्ञात हो कि मौजूदा सरपंच हनीफ खान वर्ष 2010 में गांव के ही तैयब हुसैन को 965 वोटों से हराकर सरपंच बने थे लेकिन इस बार गांव का सरपंच पद महिला आरक्षित हो गया है, जिससे सरपंच हनीफ की मुश्किलें बढ़ गई थीं। अपने पति को रोजाना परेशान होता देख जाहिरा ने एक दिन हनीफ से पूछ ही लिया कि परेशान होने की वजह क्या है? जब सरपंच हनीफ ने कहा कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है और उनके पास चुनाव मैदान में उतारने के लिए कोई और महिला भी नहीं है, तो यह बात जाहिरा के दिल को छू गई कि उसके पढ़े-लिखे नहीं होने के कारण उनके परिवार की चौधर चली जाएगी। उसी दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने पति की दूसरी शादी ऐसी लड़की से कराएगी जो कम से कम आठवीं पढ़ी-लिखी हो और चुनाव के सभी कानूनों व नियमों पर खरी उतरती हो। जाहिरा ने फिरोजपुर झिरका के गांव कौलगांव की लड़की साजिदा से अपने पति का दूसरा विवाह करा दिया और उसे सौतन बना लिया।

जाहिरा ने बताया कि उसके पति हनीफ ने गांव के विकास कार्यों के लिए काफी मेहनत की थी और गांव के लोगों को काफी मदद भी मिली थी, लेकिन इस बार महिला आरक्षित होने के कारण उसके पति की चौधर चली जाती। जिसका कारण वह जिंदगी भर अपने आपको मानती। जाहिरा ने बताया कि उसकी सौतन साजिदा 31 वर्ष की है और उसकी शादी दस वर्ष पहले पलवल जिले के गांव कोट निवासी मुस्तकीम से हुई थी, लेकिन लगभग तीन वर्ष पूर्व उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उसके तीन बच्चे भी हैं। घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं था जिससे दो साल पहले वह दोबारा अपने मायके कौलगांव में आ गई। जब उसे पता चला तो उन्होंने अपने पति की शादी साजिदा से कराने का फैसला लिया और अपने पति हनीफ से बातचीत करके उसकी शादी करा दी।

santur Silver springs SECTOR 35, KARNAL

आपकी चाहत से ज्यादा बजट से कम...

santur group STYLE • SPACE • SPLENDOUR

"हरियाणा सरकार की अफोरडेबल आवासीय योजना के तहत"

बुकिंग राशि केवल 5% | 4 वर्ष में पोजेशन | 90% बैंक ऋण उपलब्ध

स्कीम खुलने की तारीख 26 दिसंबर 2015 | स्कीम बंद होने की तारीख 14 फरवरी 2016

प्रमुख विशेषताएं:

• मुफ्त रख-रखाव 5 वर्ष के लिए • मुफ्त सार्वजनिक कार पार्किंग • कोई ईडीसी/आईडीसी चार्जेज/छिपी लागत नहीं • कोई पीएलसी/फायर फाइटिंग चार्जेज नहीं • जिम/योगा/मेडिटेशन जोन • हरे-भरे बगीचे और फुवारे • भूकम्प विरोधी आर.सी.सी ढांचा प्रत्येक टॉवर में दो लिफ्ट • शॉपिंग कॉम्पलैक्स • स्वीमिंग पूल एवं खेल सुविधाएं

फ्लैट का प्रकार/क्षेत्र/लागत एवं अदायगी शर्तें

केटेगरी	फ्लैट की कुल संख्या	कार्पेट एरिया (Sq.Ft.)	बाल्कनी एरिया (Sq.Ft.)	फ्लैट की कुल कीमत (Rs.)	बुकिंग राशि (5% फ्लैट की कुल कीमत का) + सर्विस टैक्स	आवंटन पर 20 % फ्लैट की कुल कीमत का + सर्विस टैक्स
केटेगरी -I (2BHK + स्टडी)	58	646	134	2375600	123086	492344
केटेगरी -II (2BHK)	406	587	100	2163200	112081	448324
केटेगरी -III (2BHK)	402	535	100	1976000	102382	409528
केटेगरी -IV (1BHK)	52	372	100	1389200	71978	287912
केटेगरी -V (1BHK)	55	370	100	1382000	71605	286420
केटेगरी -VI (1BHK)	52	354	100	1324400	68620	274480

• राशि का बकाया 75% 3 वर्ष से अधिक अवधि में 6 बराबर 6 मासिक किश्तों में अदा करना होगा। अदायगी की देय तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। अदायगी में कोई चूक होने पर देरी होने वाली अवधि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज लगाया जाएगा। • एक आरक्षित दोपहिया वाहन की पार्किंग का स्थान प्रत्येक फ्लैट के साथ मुफ्त में है। • कैटेगरी 1 फ्लैट पॉलिसी के अनुसार 5 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा के अधीनस्थ हैं। • लागू सर्विस टैक्स, वैट एवं कोई अन्य टैक्स सरकार के नियम के अनुसार मूल्य के ऊपर अतिरिक्त होंगें। उपरोक्त सभी दरें अपार्टमेंट की सभी लागत सहित हैं पॉलिसी अधिसूचना मार्फत सं. पीएफ-27/48921, दिनांक 19.08.2013 के अधीनस्थ निर्धारित दर के अनुसार।

पात्रता

1. आवेदक किसी भी निरंतर कानून के अंतर्गत कानूनी बाध्य अनुबंध में प्रवेश करने से बाहर न किया गया हो।
2. कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है लेकिन वह व्यक्ति, जिसमें उसकी पत्नी या उसके निर्भर बच्चे, जो हुडा डेवलप कॉलोनी/सैक्टर या हरियाणा, चंडीगढ़ और एनसीटी दिल्ली में अर्बन एरिया में किसी भी मंजूरीशुदा कॉलोनी में कोई भी फ्लैट/प्लॉट न रखता हो, को फ्लैट्स के आबंटन में प्रथम वरीयता प्रदान की जाएगी।
3. एक आवेदक केवल एक ही आवेदन कर सकता है। कोई भी सफल आवेदक इस पॉलिसी के अधीनस्थ किसी अन्य कॉलोनी में इस पॉलिसी के अधीनस्थ किसी अन्य प्लॉट के आबंटन हेतु पात्र नहीं होगा। उसके एक से ज्यादा कॉलोनी में सफल होने के मामले में उसे केवल एक फ्लैट को रखने की अनुमति होगी।

आवेदन फॉर्म खरीदे और जमा करवाए जा सकते हैं (आवेदन फॉर्म का मूल्य केवल रु. 200/- है)

अफोरडेबल ग्रुप हाऊसिंग प्रोजेक्ट में रिहायशी अपार्टमेंट की बुकिंग हेतु सामान्य जनता से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो अधिसूचना सं. पीएफ-27/48921 दिनांक 19.08.2013 (विवरण विभाग की वेबसाईट अर्थात tcpharyan.gov.in पर उपलब्ध है) की मार्फत टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित हरियाणा अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी के नियम और शर्तों के अनुसार विकसित होना प्रस्तावित है।

प्रोजेक्ट विवरण

1. प्रोजेक्ट स्वीकृति :	संतूर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड व काइंड बिल्डिंग सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (संतूर ग्रुप कं.) आपसी सहयोग में, लाइसेंस नं. 2015 का 4, दिनांक 31.07.2015, बिल्डिंग प्लान स्वीकृति मार्फत मैमो नं. ZP-1094/AD(RA)/2015/22043, दिनांक 06.11.2015 DGTCP HARYANA द्वारा
2. स्थान :	सैक्टर 35, जिला करनाल, हरियाणा-132001
3. प्रावधान :	प्रोजेक्ट एरिया : 9.51 एकड़, जिसमें शामिल है कुल 1371 अद्द फ्लैट, जिसमें से डेवलपर्स 1025 फ्लैट्स फेज-1, टॉवर्स A से I, साइट लेआऊट प्लान के अनुसार प्रस्तावित कर रहा है।
4. कम्युनिटी सुविधा :	क्रैच/आंगनवाड़ी, कम्युनिटी हॉल
5. अपार्टमेंट की स्पेसिफीकेशनं :	फ्लोरिंग - ड्राँयिंग/डाइनिंग/बैडरूम/किचन : विट्रिफाइड टाइल्स, मास्टर बैडरूम : लैमिनेटिड वुडन फ्लोरिंग टॉयलेट/बालकॉनी : सेरेमिक टाइल्स। लिफ्ट लॉबी/गलियारा : भारतीय ग्रेनाईट/मारबल/विट्रिफाइड टाइल्स। विंडोज : एनोडाइज्ड/पाऊडर कोटिड एलुमिनियम/यूपीवीसी विंडोज। डोर फ्रेम्स/डोर्स : हार्डवुड डोर फ्रेम, लैमिनेटिड फ्लश डोर्स के साथ। वाल टाइल्स : टॉयलेट्स : सेरेमिक टाइल्स 7 फुट ऊंचाई तक, किचन : सेरेमिक टाइल्स 2 फुट ऊंचाई तक काऊंटर के ऊपर, किचन काउंटर : ग्रेनाइट/मारबल स्टेनलेस स्टील सिंक के साथ। वाल फिनिश : ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर। प्लंबिंग फिटिंग : यूपीवीसी/सीपीवीसी/पीपीआर या समकक्ष। सैनेटरी फिटिंग्स : स्टैंडर्ड डिजाइन का चाइना वेयर और जेगुआर (कांटिनेंटल रेंज)/समकक्ष सीपी फिटिंग्स। विद्युत फिटिंग्स : कॉपर वायरिंग कन्सील कन्ड्यूट्स में और आईएसआई मार्क का सुरक्षात्मक एमसीबी और मॉड्यूलर स्विच/सॉकिट्स। स्ट्रक्चर : आई.एस.आई कोड के अनुसार आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर

आबंटन मानदंड

1. अपार्टमेंट का आबंटन उपायुक्त या उसके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा सिविल सर्विस के कोड का) सीनियर टाऊन प्लानर (सर्कल/ऑफिस), संबंधित जिले का डीटीपी और संबंधित कॉलोनाइजर के प्रतिनिधि सहित एक समिति की उपस्थिति में लाट्स के ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
2. लॉट्स के ड्रॉ हेतु तिथि के निर्धारण के बाद उसी समाचार पत्र में लॉटस के ड्रॉ की तिथि, समय और स्थान से संबंधित विवरण के बारे में आवेदकों को सूचित करने हेतु डेवलपर द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसमें मूल विज्ञापन जारी किया गया था।
3. विस्तृत मानदंड और समीक्षा और आबंटन हेतु अपनाई गई समय सूची के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2013 अधिसूचना मार्फत सं. पीएफ-27/48921, दिनांक 19.08.2013 (विभाग की वेबसाईट अर्थात tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है) में विवरण हेतु देख सकते हैं।

आनलाइन फॉर्म उपलब्ध हैं और जमा करवाए जा सकते हैं www.santursilversprings.com पर

www.santursilversprings.com

Call : 8287445566

SANTUR SPACES PVT. LTD (CIN No. U45201DL2012PTC237231)

Corporate Office : E - 6, Greater Kailash, Part 1, New Delhi - 110048, Phone : 011-46548102/03/04 | Email: info@santurgroup.com | Web: www.santurgroup.com
Karnal Office : SCO-235, Sector-12A, Karnal,Haryana, Ph. : 0184 - 6990990 / 6990996 | Email: silversprings@santurgroup.com
Site Office : Sector-35, Karnal,Haryana, Ph.:8287445566